ORIGINAL RESEARCH PAPER

Social Science

मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

KEY WORDS: मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, नारी सम्मान/

डॉ. सरिता पाठक व्यावहारिक मनोविज्ञान डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

ABSTRACT

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है/ हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं/ मिशन शक्ति अभियान का दृष्टिकोण महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए है एवं ऑपरेशन (क्रिया-कलाप) शक्ति का दृष्टिकोण उन लोगों को सजा दिलाने के लिए है जिन्होंने महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार या अपराध किया है/ नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष २०२० में 'उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति' अभियान का शुभारंभ किया था/सबसे पहले हरियाणा सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान का शुभारंभ किया लेकिन बाद में इसे केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया/ महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता को अभिव्यक्त किया जाता है/ सशक्तिकरण प्रक्रिया में समाज को प्रारंभिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव निम्न स्तर का माना है/ महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है/ महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है/ विश्व महिला दिवस पर ८ मार्च पर विशेष एक अनजान सा गांव पूलवाही देश ही नहीं बल्कि अन्तरर्राष्ट्रीय फलक पर चमक उठा है/

प्रस्तावना -

मिशन शक्ति को वर्ष २००१ में महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था/ इस पहल के तहत ओडिशा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग ७ लाख सदस्यों वाले ६.०२ लाख स्वयं सहायता समूह (एस.जी.एच.) है/ इस पहलू से उड़ीसा में एस.जी.एच. सदस्यों की आय लगभग ३००० रुपये बढ़ से बढ़कर १५००० रुपये प्रति माह हो गई/ उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है/ इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले लोगों की पहचान उजागर करना और महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस कराना है/ इस मिशन के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है/ उत्तर प्रदेश सरकार महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली और मिशन शक्ति शुरू किया/ इस मिशन की शुरुआत अक्टूबर २०२० से शुरू की गई थी/ अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया/ वही दूसरे चरण में अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया इस तरह इस पूरे मिशन को चरणों में बाँटकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम को शुरू किया/

मिशन शक्ति की कुछ मुख्य बाते प्रमुख हैं/ :-

- महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित जो भी केस कोर्ट में जाएँगे उन्हें 'फास्ट ट्रैक' भेजकर सुनवाई जल्दी पूरी करवाना /
- अभियान से सभी विभागों को एक साथ जोड़ना ताकि महिलाओं को कोई परेशानी न हो/
- यूपी में २४ विभाग चुने गए है, जो सरकारी या स्थानीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं/
- महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति का दोष कोर्ट में सिद्ध होने के बाद सभी चौराहों पर उसकी तस्वीरें लगाना और पहचान उजाकर करना/
- मनचलों और शोहदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें पकड़ना और जेल भेजना/सभी पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्पडेस्क, जहाँ महिला अधिकारी और सिपाही भी महिला होना/

मिशन शक्ति अभियान स्लोगन -

"नारी शक्ति का करो सम्मान, होगा तभी देश उद्धार"

"बेटी कुदरत का उपहार
नहीं करो उसका तिरस्कार
जो बेटी को दे पहचान,
माता-पिता वही महान/"

"नारी एक रूप अनेक"

"जब है नारी में शक्ति सारी,
तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी/"

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय बन गया है/ भारतीय ग्रंथों एवं शास्त्रों में महिलाओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं/ धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि नारी की पूजा देवी के सामान की जाती है एवं उन्हें कभी अपमानजनक दृष्टिकोण तथा किसी अन्य अमर्यादित स्वरूपों में उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता जहाँ इस तरह की बातें होती है, वहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तथा धर्म शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि वहाँ देवी देवताओं का वास भी नहीं होता है/ भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज-प्रथा, अशिक्षा, यौन-हिंसा, असमानता, भ्रूण-हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति, मानव तस्करी इत्यादि ऐसे ही दूसरे तरह के विषय शामिल है/ भारत में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है, भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल है, एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय है/ नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वे हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसला कर सकें/

महिला विधाता की अद्भुत सृष्टि है, वह इस चलायमान जगत की सबसे श्रेष्ठ और रहस्यमय प्राणी है, वह मानव समाज की आधारशिला है, सच ही माँ, बहन, बेटी व प्रेयसी के रूप में समाज की प्रेरणा का स्रोत है/ यद्यपि साहस, वीरता और शौर्य में भी वह पुरुषों से पीछे नहीं है तथापि समाज में आज तक उन्हें व दर्जा नहीं मिल सका है जिसकी वह अधिकारिणी है/ पितृसत्तात्मक समाज, धार्मिक अंधविश्वास, अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, असुरक्षा आदि महिलाओं के प्रति सामाजिक विषमता के प्रमुख कारण हैं/ महिला को आज भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है/ इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए नारीवादी विचारकों ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाया है/ यद्यपि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जोर केवल महिलाओं को शक्ति देने से ही नहीं होता तथापित उन्हें मुख्यधारा में लाने से भी होता है, ताकि वे हर क्षेत्र में भागीदारी निभाए तथा विकास में योगदान करें/ वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है/ महिला सशक्तिकरण का आधार परम्परागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन माना गया है जिससे महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके/ महिला सशक्तिकरण, महिलाओं में जागरूकता व क्षमता बढ़ाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सहभागिता, निर्णय-निर्माण की शक्ति एवं नियंत्रण और परिवर्तनशील कार्य करने का रास्ता दिखाती है/

महिला सशक्तिकरण एक गतिशील व बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं के जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपनी शक्ति व पहचान की अनुभूति होती है/ सशक्तिकरण को सबसे सरल रूप से पुरुष प्रभुत्व की विचारधारा को चुनौती देने वाली शक्ति के पुनः वितरण वाली व्यवस्था में देखा जा सकता है/ यह एक ऐसी संरचना व संस्थाओं का परिवर्तन है जो लिंग भेदभाव को पुनर्बलित कर उसे कायम रखना चाहती है/ यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो नारी को इस योग्य बनाती है कि वे संसाधनों व सूचना स्रोतों पर नियंत्रण कर सके/ सशक्तिकरण का अर्थ है, सामाजिक न्याय और समता या महिला की स्वतंत्र पहचान या उसको इंसान के रूप में स्वीकार करना, घर में उसके लिए बराबर का स्थान होना चाहिए/ सशक्तिकरण में अवसरों में बढ़ोतरी व समानता, विभिन्न समूहों आयु वर्गो आदि के मध्य समता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सामूहिक भागीदारी के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षमता, वृद्धिकरण भी शामिल है, इससे मानव की अंतर्निहित

शक्तियाँ व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर व्यक्त होती है/ सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्रत्येक को अपने अधिकारों, उत्तरदायित्व, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अवसरों के प्रति जागरूकता पैदा करता है/ सामूहिक तथा सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता पैदा करता है / यह सशक्तिकरण की आंतरिक प्रक्रिया है/ सशक्तिकरण शब्द अपने आप में शक्ति को समाहित किए हुए है, इसका अर्थ है शक्ति एवं शक्ति के संतुलन में बदलाव / सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ महिलाएँ अपने समय के लिए समय और स्थान खोजती हैं और अपने जीवन का सामूहिक व आलोचनात्मक रूप से पुनः निरीक्षण करती है/ सशक्तिकरण महिलाओं को इस योग्य बनाता है कि महिलाएँ अपनी पुरानी समस्याओं का नए तरीके से समाधान कर सके, अपनी शक्ति व क्षमता से विभिन्न स्रोतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके/

सशक्तिकरण का विचार व भाव अपने आप में न तो पूर्ण है और न ही बहुत अधिक स्पष्ट है/ इसे समाज विशेष के संदर्भ में विविध, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पृष्ठभूमि और विकास के स्तर को आधार मानकर और मापदण्ड बनाकर समझने की आवश्यकता है/ भारतीय समाज की जटिलता के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की धारणा को अत्यधिक व्यापक और व्यवहारिक बनाया जाना आवश्यक है/ सशक्तिकरण शब्द का एक अर्थ प्रभुत्व भी है / जिसमें भागीदारी व सक्रियता दोनों शामिल है अतः कहा जा सकता है कि सशक्तिकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा महिलाओं को बराबरी एवं समानता का दर्जा मिले/ इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन आए व पुरुष वर्ग आगे आकर इस कार्य में महिलाओं की मदद करें, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उनके चहुंमुखी एवं सर्वांगीण विकास के लिए संरचनात्मक व संस्थागत परिवर्तन की पहल करें/

मानव जीवन के प्रारंभ में स्त्री-पुरुष की क्षमताएँ, शक्तियाँ एवं गुण एक दूसरे के पूरक रहे हैं, किंतु सभ्यता के विकास के साथ-साथ 'पुरुष प्रधानता' की मानसिकता विकसित होती गई, पितृसत्तात्मक परिवार बनने लगे और यहाँ से लिंग भेद की नींव रखी गई / विकास के संसाधनों पर पुरुष वर्ग का कब्जा हो गया और महिला वर्ग परावलम्बी बन गया/ इस तरह विश्व में मानव सभ्यता के विकास का इतिहास स्त्री के दमन एवं शोषण का इतिहास रहा है/ इस शोषण के विरुद्ध नारीवादी आंदोलन का आरंभ हुआ/ नारीवाद विचारधारा पुरुषों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध है/ भारत में महिलाओं का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव का इतिहास रहा है/ प्राचीन काल में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, समाज में उसका विशिष्ट स्थान था/ वैदिक काल में महिलाओं को जीवन के प्रत्येक स्तर पर पुरुषों के समान अधिकार और स्वतंत्रताएँ प्राप्त थी/

महिला सशक्तिकरण में आयोग की भूमिका - राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा १०(१)(ञ) में प्रावधान है कि "आयोग महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेगा और उन पर सलाह देगा/" इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न विशेष समस्या आधारित अध्ययन, सेमिनार, सम्मेलन, राज्यों के दौरे और सार्वजनिक जांच प्रायोजित और आयोजित करता रहा है और उनमें भाग लेता रहा है/ वर्तमान समय में महिलाओं का समाज में स्तर परिवार में उनकी भागीदारी को काफी बढ़ावा मिला है, आज महिलाएँ न घर की चारदीवारी में और न ही पर्दे के पीछे छिपी हुई है वह पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है/ इस बदलते दौर में जहाँ उन पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है, वहीं साथ ही साथ उनके सामने बलात्कार, हिंसा, दहेज, जैसी समस्याएँ भी खड़ी हैं, जिनका उन्हें डटकर सामना करना है/

महिलाओं को समानता एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में महिला आयोग का एक आवश्यक अंग है, न्याय की उपलब्धता, सुविधा रहित वर्गों की महिलाओं के लिए उन्हें सुविधा प्रदान कराना महिला आयोग की भूमिका नितांत आवश्यक है, महिलाओं को कानूनी अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए जिसके लिए उन्हें न केवल कानूनी प्रावधानों अपितु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं विकास योजनाओं से भी अवगत कराए जाने की प्रमुख आवश्यकता है/

महिला सशक्तिकरण का अर्थ कुछ इस प्रकार से लगभग लगाया जाता है कि जैसे महिलाओं को किसी वर्ग विशेष कर पुरुष वर्ग का सामना करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है/ भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं/ उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है/ यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं की अपनी प्रतिभा को निखारने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है/ महाभारत काल के पश्चात नारी की इस स्थिति में गिरावट आई है/

राष्ट्रीय महिला आयोग की संपूर्ण राज्य की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है/ वैसे तो प्रत्येक राज्य में अपना-अपना महिला आयोग है, परंतु राष्ट्रीय महिला आयोग इन सबसे ऊपर कार्य करता है/ अगर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन देखिए तो हम पाएँगे कि सदस्यों के निर्वाचन में सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, जिन राज्यों से आयोग में महिलाओं की सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, उन राज्यों से कोई भी प्रतिनिधि नहीं है/ वहाँ की भाषा, व्यवहार आदि नहीं समझ पाने के कारण उनकी समस्याओं का समाधान सतही तौर पर हो पा रहा है/ परंतु सदस्य अपने-अपने राज्यों की समस्या में ज्यादा रुचि लेते हैं और उन समस्याओं पर ही गहराई से अध्ययन करते हैं/

कोई भी संस्था बनते समय ये आवश्यक है कि उसे उस तरह का बनाया जाए जिसकी उससे अपेक्षा की जा रही है/ इसके सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है/ हालांकि यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार उपयुक्त लोगों को ही नियुक्त करेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है/ दूसरी ओर सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कम किया है/ पिछले ३ वर्षों में भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप किया है/ पर राजनीति हस्तक्षेप के कारण अभी कुछ समय आयोग अपनी स्वतंत्र भूमिका अदा करने में असफल रहा है/ आयोग राजनीतिक नेताओं के जाल में फँसता जा रहा है/ अखबारों में जहाँ उन्हें स्वतंत्र होकर आरक्षण के विषय पर आगे आना चाहिए, वही नेताओं के साथ आयोग की सदस्य तस्वीरों में नजर आते हैं, जबकि राजनीतिक नेता अपने स्वयं के हित या सरकार के आने के लिए दाँवपेच खेलते/ इससे आयोग कि स्वतंत्र छवि खराब होती दिखाई पड़ रही है/

समालोचनात्मक विश्लेषण -

राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है/ इसके गठन के पश्चात से महिलाओं की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवारिक वैधानिक प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है/महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सफल रही है/ उनकी जागरूकता का स्तर विस्तृत हुआ है/ महिला आज अपनी एक खास पहचान बनाने में कायम रही/ राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों से ही स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं को ३३% आरक्षण प्राप्त हुआ है एवं संसद और विधानमंडल में ३३% आरक्षण का विधेयक लगातार १९९६ के बाद से संसद के पटल पर पास कराने हेतु रखा जा रहा है/ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उचित स्थान दिए जाने लगा है/ लेकिन फिर भी क्यों महिलाएँ आज भी पूर्ण सशक्तिकरण को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन में ढूंढने का प्रयास करते हैं जिसके कारण आयोग आज इतना सफल नहीं हो पाया है/

शोध-समस्याएँ -

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण से सम्बन्धित कुछ प्रमुख शोध समस्याएँ हैं/ :-

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अध्ययन करना /
- मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की शक्तियों के संदर्भ में अध्ययन करना /
- पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अधिक संवेगात्मक होती है के संदर्भ में अध्ययन करना /

शोध-विधियाँ -

मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कुछ प्रमुख शोध विधियों का प्रयोग किया जाता है, शोध विधि के क्षेत्र में मुख्य तौर पर दो विधियाँ प्रमुख हैं:- मात्रात्मक विधियाँ और गुणात्मक विधियाँ / प्रस्तुत शोध अध्ययन सर्वेक्षण विधि पर आधारित है/

शोध-प्रदत्त -

प्रस्तुत शोध अध्ययन, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर चयनित करके किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है/ इस शोध कार्य में विभिन्न आयु वर्ग के युवक एवं युवतियों पर अध्ययन किया गया है/

प्रदत्त-विश्लेषण -

इस शोध अध्ययन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विस्तृत सर्वेक्षण करके शोध

कार्य को संपादित किया गया / वहीं दूसरी तरफ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की शक्तियों को नजरअंदाज न करते हुए इस संदर्भ में भी सर्वेक्षण विधि के द्वारा अध्ययन किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु महिलाओं एवं पुरुषों में संवेगात्मकता के स्तर को ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को किया गया तथा अन्त में सर्वेक्षण करके दोनों के संवेगात्मक स्तर को ज्ञात किया गया/

शोध प्रतिदर्श -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में २५ शहरी एवं २५ ग्रामीण शिक्षित एवं अशिक्षित युवक-युवतियों का चयन किया गया जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में शोध कार्य करना सुनिश्चित किया गया है/

परिणाम -

उपरोक्त शोध समस्याओं को हल करने के पश्चात यह परिणाम प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में ग्रामीण एवं शहरी, शिक्षित एवं अशिक्षित, युवक एवं युवतियों में संवेगात्मकता का स्तर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया गया / वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण एवं शहरी केवल महिलाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत काफी अधिक जागरूकता दिखाई दी और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं में सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए काफी अहम भूमिका रही/

निष्कर्ष –

उपरोक्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ किसी से कम नहीं हैं, महिलाएँ पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य संपादित कर रहीं हैं/

अपने वर्तमान प्रयासों को दृढ़ता से अमल में लाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग निरन्तर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक सक्रिय व सशक्त भागीदारी दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी आर्थिक सहायता बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर नीति निर्माताओं, समाज और स्वयं महिलाओं में पहले से अधिक जागरूकता आई है, महिलाओं के मानवीय अधिकारों और मानव विकास संबंधी दृष्टिकोण पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला जा रहा है और शासन प्रणाली के सभी अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से इन पर बल दिया जा रहा है परंतु महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में महत्वपूर्ण सुधार आना अभी शेष है, विशेषकर यह बात दृष्टि में रखते हुए कि देश के कई भागों में महिलाओं को काम की दुनिया में प्रवेश करने के विरुद्ध व सामाजिक रूढ़िवादिता अब भी बराबर बनी हुई है/

पारम्परिक उद्योगों की अवनति और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव से महिलाओं के शोषण के अलावा रोजगार कौशलों का हास भी होता है/ शोषित महिला कार्मकार बड़ी संख्या में दलित समुदायों और जनजातियों के होते हैं/ प्रायः यदि महिलाएँ मजदूरी के आधार पर काम करती हैं, तो वे ठेका मजदूर के रुप में काम करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए निर्माण उद्योग जहाँ मजदूरी कम चलती है और कार्य दशाएँ खराब है अथवा सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है/ यदि महिलाएँ बीड़ी बनाने, माचिस उद्योग, चिकन उद्योग आदि जैसे गृह आधारित उद्योगों में काम करती हैं तो उनकी मजदूरी, काम के घंटे और काम की अन्य शर्तें नियमित नहीं होती हैं/

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. सुषमा सहाय, "वूमून एण्ड एमपारमेंट : एप्रोच एण्ड स्ट्रैटेजी", डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, १९९८ , पृष्ठ २१.
2. वार्षिक रिपोर्ट २००४-०५, राष्ट्रीय महिला आयोग, पृष्ठ १०८ .
3. भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की समय के उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण की रिपोर्ट, नई दिल्ली, अप्रैल २००२ .
4. अमर उजाला समाचार पत्र, नई दिल्ली, ८ जुलाई २०११.
5. पैलिनीथूराई, जी., इण्डियन जनरल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो. ग्स टम्पू नंबर १, जनवरी-मार्च २००१, पृष्ठ ३९ .
6. मोर्चे पर स्त्री (अंजू दुआ जैमिनी) प्रकाशक (कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली ११००२), संस्करण (२०१०), पृष्ठ २०५ - २०६ .
7. गुप्ता, विश्व प्रकाश व गुप्ता मोहिनी, स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएँ", नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ ४ .
8. कांत, भाटिया, "प्राचीन वैदिक साहित्य में नारी की स्थिति" वूमेन स्टडीज सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय, १ अप्रैल से १० अप्रैल २००३, पृष्ठ ३ .
9. कमलेश कुमार गुप्ता, "महिला सशक्तिकरण : सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति", बुक एन्कलेव प्रकाशन, नई दिल्ली २००५, पृष्ठ १४ .
10. राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र २००९, नारी शक्ति मिशन, नई दिल्ली .